न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, डोईवाला, जिला–देहरादून।
फौजदारी प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र सं0–115/2022
राज्य बनाम रूपेश कुमार शर्मा।

मु0अ0सं0–353/2022
अं0धारा–279 व 304ए भा0द0सं0
थाना–डोईवाला, जिला देहरादून।

दिनांक–17–10–2022

निस्तारण प्रार्थना पत्र वास्ते वाहन रिलीज

प्रार्थी/पंजीकृत वाहन स्वामी रूपेश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 राजमोहन शर्मा, स्थायी निवासी दुर्गा कालोनी, सुशीला भवन, निकट हाई स्कूल, बुकारो, झारखण्ड–828404, हाल निवासी बी–404, रेजीजोन रेजीडेन्सी, मयूर विहार, सहस्त्रधारा रोड, थाना रायपुर, जिला देहरादून मय विद्वान अधिवक्ता श्री रजनीश कुमार गुप्ता द्वारा वाहन सं0 UK06AU2993 को अपने पक्ष में निर्मुक्त कराने हेतु न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

इस सन्दर्भ में थाना डोईवाला से आख्या तलब की गयी है। थाना डोईवाला की आख्या में, अन्य कथनों के साथ कथन किया गया है कि, ***''मु0अ0सं0 353/22 धारा 279/304ए आईपीसी बनाम UK06AU2993 चालक अज्ञात के निर्मुक्ति प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में आख्या–थाना हाजा पर वादी गोपी चन्द बहुगुणा पुत्र महावीर प्रसाद निवासी वार्ड नं0 11 वालसी भानियावाला डोईवाला, देहरादून की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 353/22 धारा 279/304ए आईपीसी बनाम वाहन सं0 UK06AU2993 कार चालक अज्ञात पंजीकृत हई है, जिसकी विवेचना एचसीपी प्रमोद ध्यानी/विवेचक द्वारा सम्पादित की जा रही है, जो वर्तमान समय में कलियर मेला ड्यूटी हरिद्वार में चल रहे है, जिनमे जरिये दूरभाष से सम्पर्क किया गया, तो उपरोक्त विवेचक द्वारा बताया गया कि उक्त वाहन का टेक्निकल परीक्षण दिनांक 8/10/22 को हो चुका है, मुकदमें से सम्बन्धित उक्त वाहन चौकी हाजा के प्रांगण में सुरक्षा की दृष्टि से खड़ा है। आख्या अवलोकनार्थ श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित है।''***

इस सम्बन्ध में विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी सुश्री हरजीत कौर द्वारा आख्या दी गयी है कि, ***''महोदया थाना डोईवाला से प्राप्त आख्यानुसार वाहन सं0 UK06AU2993 थाना डोईवाला की चौकी लालतप्पड़ में खड़ा है, जो मु0अ0सं0 353/22 अं0धा0 279, 304ए आईपीसी में माल मुकदमाती है। रिपोर्ट अग्रसारित है।''***

प्रार्थी/पंजीकृत वाहन स्वामी के विद्वान अधिवक्ता श्री रजनीश कुमार गुप्ता एवं विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी सुश्री हरजीत कौर को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त वाहन के पंजीकृत स्वामी रूपेश कुमार शर्मा को न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराकर उसकी पहचान को तस्दीक किया गया।

उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी/पंजीकृत वाहन स्वामी मय विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, इन्श्योरेंस की फोटोप्रति, ड्राईविंग लाईसेंस

की फोटोप्रति, Form 59 [See rules 115 (2)] की फोटोप्रति, प्रार्थी के आधारकार्ड की स्वप्रमाणित फोटोप्रति एवं वकालतनामा इत्यादि प्रस्तुत किये गये हैं।

इस प्रकार प्रस्तुत आर0सी0 व अन्य प्रपत्रों आदि से उपरोक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी रूपेश कुमार शर्मा होना दर्शित होता है। उपरोक्त वाहन के चौकी लालतप्पड़, थाना डोईवाला, जिला देहरादून में खड़े रहने से उसके खराब होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त वाहन को पंजीकृत वाहन स्वामी की सुपुर्दगी में सशर्त दिये जाने का पर्याप्त आधार है।

इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय ने **सुन्दर भाई अम्बा लाल देसाई बनाम गुजरात राज्य एफ0आई0आर0 2003 सु0को0 पेज 638** में यह निर्देश दिये है कि माल को अनावश्यक रूप से थाना परिसर में न रखा जाये।

तद्नुसार वाहन सं0 UK06AU2993 को प्रार्थी/पंजीकृत वाहन स्वामी की सुपुर्दगी में उसके द्वारा मु0 5,50,000/–रूपये (पांच लाख पचास हजार रूपये) का एक सक्षम प्रतिभू व व्यक्तिगत बन्धपत्र/अण्डरटेकिंग पेश करने पर दौराने विचारण निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :–

(1) यह कि दौराने विचारण प्रार्थी/पंजीकृत वाहन स्वामी उपरोक्त वाहन को खुर्द–बुर्द नहीं करेगा तथा उसके रंग रूप में परिवर्तन नहीं करेगा और न ही उसे किसी अन्य को विक्रय करेगा।

(2) प्रार्थी/पंजीकृत वाहन स्वामी उपरोक्त वाहन को तलब किये जाने पर अपने खर्चे पर न्यायालय या अन्य अपेक्षित स्थान में पेश करेगा तथा यदि प्रार्थी/पंजीकृत वाहन स्वामी को न्यायालय के द्वारा वर्तमान मामले के सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण या जानकारी देने के लिए बतौर साक्षी न्यायालय तलब किया जाता है, तो प्रार्थी/पंजीकृत वाहन स्वामी अविलम्ब न्यायालय में उपस्थित होगा और यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपरोक्त वाहन के सम्बन्ध में अपना दावा प्रस्तुत किया जाता है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रार्थी/पंजीकृत वाहन स्वामी की होगी।

(3) विवेचक/थानाध्यक्ष डोईवाला, जिला देहरादून प्रार्थी के बरामद उक्त वाहन की प्रार्थी के खर्चे पर प्रत्येक कोणों से स्पष्ट दर्शित विडियोग्राफी/फोटोग्राफी कराकर, फोटो की एक फर्द तैयार कर तथा उक्त विधिक व्यवस्था के अनुसार नियमानुसार पंचनामा कराकर, पंचनामा, फर्द, फोटोग्राफी आदि पर, दो गवाहों, प्रार्थी के हस्ताक्षर कराकर, एक प्रति विवेचना की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेगें।

(4) यथानुसार विवेचक/थानाध्यक्ष डोईवाला, जिला देहरादून प्रार्थी के उक्त बरामद वाहन की फोटो/विडियोग्राफी, प्रार्थी के खर्चे पर करवाकर मालखाना थाना डोईवाला में जमा करेंगे।

(5) प्रार्थी/पंजीकृत वाहन स्वामी उपरोक्त वाहन से सम्बन्धित प्रपत्रों की दो–दो प्रतियां न्यायालय में दाखिल करेगा।

यह आदेश मात्र मु0अ0सं0 353/2022 के सम्बन्ध में, धारा 279 व 304ए भा0द0सं0 में, उपरोक्त वाहन सुपुर्दगी में दिये जाने हेतु, है। इस आदेश का प्रभाव वाहन स्वामित्व के सम्बन्ध में नहीं है। अतः सम्बन्धित थानाध्यक्ष को आदेशित किया

जाता है कि यदि प्रश्नगत वाहन सं0 UK06AU2993 किसी अन्य मामले में वांछित न हो, तो उक्त वाहन को, पंजीकृत वाहन स्वामी की पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात, उक्त पंजीकृत वाहन स्वामी की सुपुर्दगी में नियमानुसार निर्मुक्त किया जाना सुनिश्चित करें। आदेश की एक प्रति थानाध्यक्ष, डोईवाला को वास्ते अनुपालन प्रेषित की जाये।

दिनांक–17–10–2022

(मीनाक्षी दुबे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डोईवाला।